भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2642
दिनांक 19.12.2023/ 28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

दुर्व्यापार से बचाए गए लोगों का पुनर्वास

†2642. श्रीमती माला रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दुर्व्यापार से बचाए गए लोगों के समुदाय आधारित पुनर्वास के महत्व से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत देश में अवैध दुर्व्यापार से बचे सभी लोगों को कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास आदि के विषय से संबंधित है, ने सूचित किया है कि 'मिशन शक्ति' के तहत, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती 'स्वाधारगृह' और तस्करी की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला होम्स' का विलय कर दिया गया है और अब इसे 'शक्ति सदन' के रूप में जाना जाता है, जो संकट की स्थिति और कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक "एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह" है। "शक्ति सदन" में रहने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़ा, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा एवं अन्य दैनिक सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इन महिलाओं को संबंधित विभागों के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के साथ समन्वय से व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाते खोलने की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदि भी प्रदान किया जाता हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 445 शक्ति सदन क्रियाशील हैं, जिनमे लगभग 10955 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

*****